**भारत सरकार**

**नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 71**

**सोमवार, दिनांक 24 नवम्‍बर, 2014 को उत्‍तर देने हेतु**

**पवन चक्‍की परियोजना**

**71 . श्रीमती विजिला सत्‍यानंत : क्‍या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

1. दक्षिण तमिलनाडु में पवन चक्‍की परियोजनाओं को सुधारने के लिए क्‍या क्‍या कदम उठाए गए हैं;
2. इनके उत्‍थापन, कार्यान्‍वयन और उत्‍पादित विद्युत की आपूर्ति करने, आदि के दौरान पवन चक्‍की परियोजनाओं के मालिकों द्वारा सामना की गई विभिन्‍न कठिनाईयों को रोकने के लिए क्‍या तंत्र बनाया गया है ; और
3. क्‍या पवन चक्‍की परियोजनाओं को सुधारा जाएगा और प्रोत्‍साहित किया जाएगा ?

उत्‍तर

**विद्युत, कोयला तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)**

 **(श्री पीयूष गोयल)**

1. सरकार द्वारा पवन विद्युत परियोजनाओं को राजकोषीय एवं संवर्धनात्‍मक प्रोत्‍साहनों तथा अनुकूल नीतिगत ढांचे के माध्‍यम से निजी क्षेत्र के निवेश द्वारा बढ़ावा दिया जाता है । उत्‍पादन आधारित प्रोत्‍साहन (जीबीआई) तथा त्‍वरित मूल्‍यह्रास (एडी) के लाभ, जिन्‍हें 01.04.2012 से समाप्‍त कर दिया गया था, को पुन: लागू किया गया है । तमिलनाडु सहित आठ राज्‍यों में पवन विद्युत सहित अक्षय ऊर्जा के लिए 12वीं योजना अवधि में विद्युत निष्‍क्रमण एवं पारेषण आवश्‍यकताओं को समझने के लिए हरित ऊर्जा कॉरीडॉरों पर एक अध्‍ययन किया गया है। राष्‍ट्रीय स्‍वच्‍छ ऊर्जा कोष (एनसीईएफ) सहायता की संस्‍तुति हेतु अंतरमंत्रालयी समूह (आईएमजी) ने दिनांक 7.5.2014 को आयोजित अपनी बैठक में तमिलनाडु राज्‍य में अक्षय विद्युत अंत:राज्‍यीय पारेषण प्रणाली की स्‍थापना करने के लिए 637.20 करोड़ रू. की एन सी ई एफ सहायता की संस्‍तुति की है ।
2. तमिलनाडु सरकार से राज्‍य में विद्युत निष्‍क्रमण अवसंरचना में वृद्धि लाने का अनुरोध किया गया है ताकि पवन विद्युत परियोजना से उत्‍पादित विद्युत को विशेषकर मानसून की अवधि के दौरान ग्रिड में मिलाया जा सके । मंत्रालय द्वारा इस संबंध में तमिलनाडु सरकार को पत्र लिखे गए हैं तथा राज्‍य के अधिकारियों के साथ बैठकें की गई हैं ।
3. ऊपर उल्लिखित प्रयासों को ध्‍यान में रखकर यह आशा की जाती है कि तमिलनाडु में आने वाले वर्ष में पवन विद्युत की संस्‍थापना में वृद्धि होगी ।

**………**

**भारत सरकार**

**नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 72**

**सोमवार, दिनांक 24 नवम्‍बर, 2014 को उत्‍तर देने हेतु**

**ऊर्जा परियोजनाओं के लिए अपशिष्‍ट से विद्युत उत्‍पादन किया जाना**

**72 . श्री संजय राउत : क्‍या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

1. गत तीन वर्षों के दौरान देश में शहरी और औद्योगिक अपशिष्‍ट पर आधारित अपशिष्‍ट से ऊर्जा परियोजनाओं के लिए उत्‍पादित विद्युत की राज्‍य-वार मात्रा कितनी-कितनी है;
2. क्‍या सरकार देश में विभिन्‍न नगर निगमों और निजी कंपनियों को शामिल करके शहरी और औद्योगिक अपशिष्‍टों से और अधिक ऊर्जा का उत्‍पादन करने के लिए गंभीरता से कोई दीर्घकालिक, योजना/कार्यक्रम ला रही है;
3. यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है ; और
4. यदि नहीं, तो इसके क्‍या कारण हैं ?

उत्‍तर

**विद्युत, कोयला तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)**

 **(श्री पीयूष गोयल)**

1. देश में विगत तीन वर्षों के दौरान शहरी और औद्योगिक अपशिष्‍टों से ऊर्जा संबंधी परियोजनाओं से राज्‍यवार उत्‍पादित विद्युत की मात्रा लगभग 1027 मीलियन यूनिट आंकी गई है । राज्‍यवार ब्‍यौरा संलग्‍ननक-। में दिया गया है।
2. , (ग) तथा (घ) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय शहरी, औद्योगिक तथा कृषि अवशेषों/अपशिष्‍टों से ऊर्जा संबंधी एक कार्यक्रम कार्यान्‍वित कर रहा है। शहरी, औद्योगिक तथा कृषि अवशेषों/अपशिष्‍टों पर आधारित परियोजनाओं के अलावा इस कार्यक्रम में नगरीय ठोस अपशिष्‍टों पर आधारित पांच वृहद् परियोजनाओं की स्‍थापना भी की जा रही है । इस कार्यक्रम में नगर निगमों, उद्योग और उद्यमिताओं द्वारा स्‍थापित किए जाने वाली परियोजनाओं के लिए केंद्रीय वित्‍तीय सहायता देने की व्‍यवस्‍था है, जिसका विवरण अनुलग्‍नक-।। में दिया गया है । इसके अतिरिक्‍त, नगरीय ठोस अपशिष्‍ट से ऊर्जा वाली परियोजनाओं को अब शहरी विकास मंत्रालय द्वारा संवर्धित किया जाएगा ।

**अनुलग्‍नक-।**

**दिनांक 24 नवम्‍बर, 2014 के राज्‍य सभा अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 72 के भाग (क) के उत्‍तर में उल्‍लिखित अनुलग्‍नक-।**

वर्ष 2011-12 से 2013-14 के दौरान अपशिष्‍ट से ऊर्जा कार्यक्रम के तहत राज्‍यवार विद्युत उत्‍पादन

|  |  |
| --- | --- |
| **राज्‍य** | विगत तीन वर्षों में अनुमानित विद्युत उत्‍पादन (मीलियन यूनिट में)  |
| दिल्‍ली  | 252.27 |
| आंध्र प्रदेश | 182.1 |
| गुजरात | 60.6 |
| कर्नाटक | 99.9 |
| मध्‍य प्रदेश | 24.6 |
| महाराष्‍ट्र | 325.2 |
| पंजाब  | 15.6 |
| तमिलनाडु | 120.9 |
| उत्‍तराखंड | 30.6 |
| उत्‍तर प्रदेश | 335.1 |
| पश्चिम बंगाल | 12.2 |
| हिमाचल प्रदेश  | 5.2 |
| कुल | 1027.29  |

**अनुलग्‍नक-।।**

**दिनांक 24 नवम्‍बर, 2014 के राज्‍य सभा अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 72 के भाग (ख,ग और घ) के उत्‍तर में उल्‍लिखित अनुलग्‍नक-।।**

**शहरी, औद्योगिक तथा कृषि अवशेषों/अपशिष्‍टों से ऊर्जा संबंधी एक कार्यक्रम के तहत केंद्रीय वित्‍तीय सहायता**

|  |  |
| --- | --- |
| **अपशिष्‍ट/प्रक्रियाएं/ प्रौद्योगिकियां**  | **केंद्रीय वित्‍तीय सहायता** |
| 1. नगरीय ठोस अपशिष्‍ट से विद्युत उत्‍पादन
2. पशुओं के गोबर अथवा बायो सीएनजी उत्‍पादन सहित शहरी और कृषि अवशेष/अपशिष्‍टों के जल-मल उपचार संयंत्र में अथवा जैव-मिथेनीकरण द्वारा बायोगैस से विद्युत उत्‍पादन
3. शहरी, औद्योगिक तथा कृषि अवशेषों/अपशिष्‍टों से बायोगैस उत्‍पादन
4. बायोगैस (इंजिन/गैस टर्बाइन रूट) से विद्युत उत्‍पादन तथा सिलैंडरों में भरनेके लिए बायो सीएनजी का उत्‍पादन
5. बॉयलर से खोई + भाप टर्बाइन समरूपण को छोड़कर बायोगैस, ठोस औद्योगिक, कृषि अवशेष/अपशिष्‍टों से विद्युत उत्‍पादन
 | 2.00 करोड़ रू./ मेगावाट (अधिकतम 10 करोड़ रू. / परियोजना)2.00 करोड़ रू./ मेगावाट अथवा 12000 घन मी. बायोगैस/दिन से बायो-सीएनजी (अधिकतम 5 करोड़ रू. / परियोजना)0.50 करोड़ रू./ मेगावाट समतुल्‍य (12000 घन मी. बायोगैस/दिन तथा अधिकतम 5 करोड़ रू./ परियोजना)1.00 करोड़ रू./ मेगावाट अथवा 12000 घन मी. बायोगैस से बायो-सीएनजी (अधिकतम 5 करोड़ रू. / परियोजना)0.20 करोड़ रू./ मेगावाट (अधिकतम 1 करोड़ रू. / परियोजना) |

अन्‍य प्रोत्‍साहन तथा सहायता उपाय

1. राज्‍य नोडल एजेंसियों को प्रोत्‍साहन: सेवा प्रभार 1% सब्‍सिडी की दर से, जो 5.00 लाख रू. प्रति परियोजना तक प्रतिबंधित है ।
2. संवर्धनात्‍मक कार्यकलापों के लिए वित्‍तीय सहायता : प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, व्‍यापार बैठकों, सेमिनार/कार्यशालाएं आयोजित करने, प्रचार जागरूकता संबंधी कार्यकलापों के लिए अधिकतम 3.0 लाख रू. प्रति कार्यकलाप तक सीमित ।
3. इसके अतिरिक्‍त, अपशिष्‍ट से विद्युत उत्‍पादन और बायो-सीएनजी उत्‍पादन के लिए ग्रिड सम्‍बद्ध परियोजनाओं की प्रारंभिक स्‍थापना हेतु रियायती सीमा शुल्‍क तथा उत्‍पाद शुल्‍क छूट भी दी जाती है ।

**...........**

**भारत सरकार**

**नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 73**

**सोमवार, दिनांक 24 नवम्‍बर, 2014 को उत्‍तर देने हेतु**

**सौर विद्युत उत्‍पादन**

**73 . डॉ.टी.एन. सीमा : क्‍या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

1. देश में सौर विद्युत उत्‍पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्‍यौरा क्‍या है;
2. क्‍या केरल सरकार ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए कोई प्रस्‍ताव प्रस्‍तुत किया है; और
3. यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है और इस प्रस्‍ताव पर क्‍या कार्रवाई की गई है ?

उत्‍तर

**विद्युत, कोयला तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)**

 **(श्री पीयूष गोयल)**

1. सरकार द्वारा देश में सौर विद्युत उत्‍पादन यूनिटों की संस्‍थापना को बढ़ावा देने के उद्देश्‍य से निम्‍नलिखित प्रमुख उपाय किए गए जा रहे हैं:
* देश में विद्युत उत्‍पादन के साथ-साथ प्रत्‍यक्ष तापीय ऊर्जा अनुप्रयोगों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राष्‍ट्रीय सौर मिशन को कार्यान्‍वित किया जा रहा है । वर्ष 2022 तक ग्रिड संबद्ध सौर विद्युत की 20,000 मेगावाट क्षमता जोड़े जाने का दीर्घकालिक लक्ष्‍य निर्धारित किया गया है जिसे 3 चरणों (पहला चरण: वर्ष 2012-13 तक, दूसरा चरण: वर्ष 2013-17 तक तथा तीसरा चरण: वर्ष 2017-2022 तक) में प्राप्‍त किया जाना है ।
* राष्‍ट्रीय शुल्‍क-दर नीति के अंतर्गत सौर विशिष्‍ट आर.पी.ओ {चरण-। (वर्ष2013) में 0.25 % जिसे वर्ष 2022 तक बढ़ाकर 3 % किया जाना है},राज्‍य विशिष्‍ट सौर नीतियों एवं आरपीओ लक्ष्‍यों तथा आरईसी कार्यतंत्र जैसे उपायों के माध्‍यम से एक समर्थकारी नीति और विनियामक परिवेश का सृजन किया जा रहा है । डिस्‍कोम्‍स तथा इकरारबद्ध (ऑबलिगेटेड) इकाइयों द्वारा अनुपालन के प्रयास किए जा रहे हैं ।
* सौर विद्युत उत्‍पादन इकाइयों की व्‍यवहार्यता में सुधार लाने के उद्देश्‍य से त्‍वरित मूल्‍यह्रास, रियायती/शून्‍य उत्‍पाद एवं सीमा शुल्‍क, अधिमान्‍य शुल्‍क –दर तथा उत्‍पादन आधारित प्रोत्‍साहन के रूप में राजकोषीय और वित्‍तीय प्रोत्‍साहन दिए जा रहे हैं ।
* ‘अनाबंटित कोयला आ‍धारित ताप विद्युत के साथ मिश्रण (बंडलिंग)’ तथा ‘राष्‍ट्रीय स्‍वच्‍छ ऊर्जा कोष से व्‍यवहार्यता अंतराल निधिकरण’ जैसे कार्यतंत्रों के माध्‍यम से ग्रिड संबद्ध सौर पी वी विद्युत परियोजनाएं संस्‍थापित करने की योजनाएं कार्यान्‍वित की जा रही हैं ।
* ऑफ –ग्रि‍ड/ विकेन्द्रित सौर विद्युत उत्‍पादन प्रणालियों के लिए पूंजीगत सब्‍सिडी प्रदान की जा रही है ।
* सामान्‍य अवसंरचना के उपयोग के माध्‍यम से सौर विद्युत उत्‍पादन की लागत में कमी लाने के लिए देश के विभिन्‍न भागों में सौर पार्कों की स्‍थापना करने की योजना बनाई जा रही है।
* एमएनआरई द्वारा 30 % सब्‍सिडी के प्रावधान के साथ ग्रिड-संबद्ध रूफटॉप पी वी प्रणालियों को बढ़ावा देने हेतु एक योजना कार्यान्‍वित की जा रही है ।
1. और (ग) : मंत्रालय को केरल सरकार से ग्रिड-संबद्ध सौर प्रकाशवोल्‍टीय रूफटॉप परियोजनाओं के संबंध में दो प्रस्‍ताव प्राप्‍त हुए – (i) 3.84 करोड़ रू. की केंद्रीय वित्‍तीय सहायता (सीएफए) के साथ 1.28 मेगावाटपीक समग्र क्षमता हेतु तथा (ii) 13.50 करोड़ रू. की केंद्रीय वित्‍तीय सहायता (सीएफए) के साथ 5.0 मेगावाटपीक समग्र क्षमता हेतु । इन प्रस्‍तावों को मंजूरी दे दी गई है । ये परियोजनाएं अपारंपरिक ऊर्जा तथा ग्रामीण प्रौद्योगिकी एजेंसी (एएनईआरटी) द्वारा संस्‍थापित की जा रही हैं ।

 इसके अलावा, केरल राज्‍य विद्युत बोर्ड (केएसईबी) से दो प्रस्‍ताव प्राप्‍त हुए हैं-(i) कुल 1.53 मेगावाटपीक क्षमता की ग्रिड-संबद्ध रूफटॉप, तथा (ii) पडिनीजराथर डैम, वायनाड, केरल में 1 मेगावाटपीक की ग्रिड इंटरऐक्‍टिव सोलर रैपिंग के लिए ये प्रस्‍ताव अभी विचाराधीन हैं ।

 इसके पूर्व, वित्‍त वर्ष 2012-13 में मंत्रालय द्वारा एएनईआरटी को राज्‍य के सभी 14 जिलों को शामिल करते हुए प्रत्‍येक 1 किलोवाट पीक क्षमता के 10,000 सौर पी वी संयंत्रों की स्‍थापना करने के लिए 53.52 करोड़ रू. की केंद्रीय वित्‍तीय सहायता मंजूर की गई है । इनमें से अभी तक 6500 संयंत्रों के संस्‍थापित कर लिए जाने की जानकारी मिली है और एएनईआरटी को 31.10.2014 तक कुल 23.86 करोड़ रू. की सीएफए किश्‍तें जारी की गई हैं ।

 केरल को सिंचाई के लिए 1380 सौर पंप आबंटित किए गए हैं जिसके लिए अभी तक 248.00 लाख रू. जारी किए गए हैं ।

.........

**भारत सरकार**

**नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 74**

**सोमवार, दिनांक 24 नवम्‍बर, 2014 को उत्‍तर देने हेतु**

**सौर विद्युत की हिस्‍सेदारी**

**74. श्री रंजिब बिस्‍वाल : क्‍या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

1. ओडिसा सहित देश में संस्‍थापित कुल उत्‍पादन क्षमता में सौर विद्युत की वर्तमान राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्रवार हिस्‍सेदारी कितनी-कितनी है ;
2. क्‍या सरकार सौर विद्युत उत्‍पादन बढ़ाने के लिए अंतर्राष्‍ट्रीय निधीयन एजेंसियों से वित्‍तीय सहायता मांग रही है;
3. यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है और इस संबंध में इन एजेंसियों की क्‍या प्रतिक्रिया है ;
4. सरकार द्वारा अगले पांच वर्षों के दौरान सौर विद्युत उत्‍पादन के लिए वर्ष-वार और राज्‍य-वार क्‍या लक्ष्‍य निर्धारित किए गए हैं और उसके लिए कितनी निधियों की आवश्‍यकता है; और
5. सरकार द्वारा लक्ष्‍यों को हासिल करने के लिए इस दिशा में अभी तक क्‍या कदम उठाए गए हैं ?

उत्‍तर

**विद्युत, कोयला तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)**

 **(श्री पीयूष गोयल)**

1. देश में ग्रिड सम्‍बद्ध सौर विद्युत परियोजनाओं की कुल संस्‍थापित क्षमता 2970 मेगावाट है इसमें से 31.5 मेगावाट ओडिसा राज्‍य में स्‍थापित की गई है । राज्‍य /केंद्र शासित क्षेत्रवार स्थिति से संबंधित एक विवरण अनुलग्‍नक-। में दिया गया है ।
2. जी, हां ।
3. सौर पार्कों के विकास के लिए मंत्रालय आर्थिक विभाग के परामर्श से बहु-पक्षीय तथा द्विपक्षीय एजेंसियों से वित्‍तीय सहायता के लिए प्रस्‍ताव कर रहा है, जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक, विश्‍व बैंक ओर जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी। प्रस्‍ताव इस समय अनुमोदन संबंधी विभिन्‍न स्‍तरों पर है ।
4. राज्‍य विद्युत नियामक आयोग (एसईआरसी) को वर्ष 2012-13 के अन्‍त तक सौर ऊर्जा की खरीद के लिए कुल उपयोग में लाई गई विद्युत का न्‍यूनतम 0.25% आरक्षित करने की आवश्‍यकता है, जो वर्ष 2022 तक 3% के स्‍तर हो जाएगा । इसी आधार पर एसईआरसी ने अपने-अपने राज्‍यों के लिए अक्षय खरीद अनुबंध पत्र (आरपीओ) की घोषणा की है ।वर्षवार तथा राज्‍यवार आरपीओ लक्ष्‍यों का ब्‍यौरा अनुलग्‍नक -।। में दिया गया है ।

ग्रिड-सम्‍बद्ध सौर विद्युत उत्‍पादन के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं का आबंटन एक प्रतिस्‍पर्घी निविदा प्रक्रिया द्वारा होता है, जिसमें बोली लगाने वाले को निवेश करना होता है । सौर पीवी तथा एस टी परियोजनाओं को स्‍थापित करने के लिए केंद्रीय विद्युत नि‍यामक आयोगों (सीईआरसी) द्वारा की गई अधिसूचना के अनुसार निवेश क्रमश: 6.91 करोड़ रू. तथा 10 करोड़ रू. प्रति मेगावाट है। इसलिए 12,899 मेगावाट के लिए पी वी परियोजनाओं हेतु पूंजीगत लागत के वर्तमान मूल्‍यांकन के आधार पर 89,132.09 करोड़ रू. के कुल निवेश की आवश्‍यकता है ।

1. इन लक्ष्‍यों को प्राप्‍त करने हेतु सरकार द्वारा अब तक किए गए उपाय इस प्रकार हैं :-
2. भारत सरकार ने 11 जनवरी, 2010 को जवाहर लाल नेहरू राष्‍ट्रीय सौर मिशन की शुरूआत की है। इस मिशन का लक्ष्‍य है कि वर्ष 2022 तक तीन चरणोंमें 20,000 मेगावाट का विस्‍तार किया जाएगा ।
3. आफॅ ग्रिड अनुप्रयोगों पर सब्सिडी का अनुदान ।
4. राष्‍ट्रीय सीमा शुल्‍क नीति में सौर विद्युत के लिए अक्षय खरीद अनुबंध पत्र का प्रावधान किया गया है ।
5. सौर विद्युत संयंत्रों को स्‍थापित करने हेतु रियायती आयात शुल्‍क /उत्‍पाद शुल्‍क में छूट, त्‍वरित मूल्‍यह्रास और करावकाश ।
6. समय-समय पर घोषित विभिन्‍न मध्‍यस्‍थताओं के माध्‍यम से ग्रिड-संबद्ध सौर विद्युत परियोजनाओं से सम्‍बन्धित मिश्रित विद्युत के लिए उत्‍पादन आधारित प्रोत्‍साहन और सुविधा ।
7. प्रदर्शन, प्रशिक्षण कार्यशालाएं आदि जैसे जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ।
8. नई प्रौद्योगिकियों और दक्षता सुधार के लिए उनके अनुसंधान व विकास प्रयासों की पहल की गई है ।

**अनुलग्‍नक-।**

**जेएनएनएसएम के तहत ग्रिड-संबद्ध सौर विद्युत परियोजनाओं के संस्‍थापित होने की स्थिति**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **क्रम सं.** | **राज्‍य/केंद्रशासित क्षेत्र**  | **कुल संस्‍थापित क्षमता**  |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 234.86 |
| 2. | अरूणाचल प्रदेश | 0.025 |
| 3. | छत्‍तीसगढ़ | 7.6 |
| 4 | गुजरात | 919.05 |
| 5. | हरियाणा | 12.8 |
| 6 | झारखंड | 16 |
| 7. | कर्नाटक | 57 |
| 8. | केरल | 0.025 |
| 9. | मध्‍य प्रदेश | 353.58 |
| 10. | महाराष्‍ट्र | 286.9 |
| **11.** | **ओड़ीसा** | **31.5** |
| 12. | पंजाब | 55.77 |
| 13. | राजस्‍थान | 835.5 |
| 14. | तमिलनाडु | 104.2 |
| 15. | उत्‍तर प्रदेश | 29.51 |
| 16. | उत्‍तराखंड | 5 |
| 17. | पश्चिम बंगाल | 7.21 |
| 18. | अंडेमान और निकोबार | 5.1 |
| 19. | दिल्‍ली | 5.465 |
| 20. | लक्षद्वीप | 0.75 |
| 21. | पुडुचेरी | 0.025 |
| 22. | चंडीगढ़ | 2 |
| 23. | अन्‍य  | 0.79 |
| **कुल** | **2970.66**  |

**भारत सरकार**

**नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 75**

**सोमवार, दिनांक 24 नवम्‍बर, 2014 को उत्‍तर देने हेतु**

**एन.टी.पी.सी. द्वारा सौर पार्क**

**75. डॉ.टी.सुब्‍बारामी रेड्डी : क्‍या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

1. क्‍या एन.टी.पी.सी. समूह की कंपनियों द्वारा आंध्र प्रदेश सरकार के साथ करार करने के लिए कोई प्रस्‍ताव रखा गया है जिससे लगभग एक-एक हजार मेगावाट के बड़े सौर विद्युत उत्‍पादन पार्कों की स्‍थापना की जा सके;
2. यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है ;
3. किन किन स्‍थानों पर ऐसे पार्क बनाए जाएंगे; और
4. इस प्रयोजनार्थ कुल कितना निवेश अपेक्षित होगा और लागत के बंटवारे की पद्धति क्‍या है ?

उत्‍तर

**विद्युत, कोयला तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)**

 **(श्री पीयूष गोयल)**

1. राष्‍ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन.टी.पी.सी.) द्वारा आंध्र प्रदेश में एक हजार मेगावाट की सौर प्रकाशवोल्‍टीय (पीवी) विद्युत परियोजना विकसित करने के लिए 16.9.2014 को आंध्र प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्‍ताक्षर किए गए हैं ।
2. उक्‍त समझौता ज्ञापन का ब्‍यौरा नीचे दिया गया है :
3. आंध्र प्रदेश सरकार (जीओएपी) द्वारा आवश्‍यक जमीन की पहचान की जाएगी तथा एनटीपीसी को मामूली लीज किराए पर आरंभ में 25 वर्षों के लिए आबंटित की जाएगी तथा इस अवधि को परस्‍पर सहमत शर्तों पर आगे बढ़ाने का प्रावधान होगा ।
4. एनटीपीसी द्वारा परस्‍पर सहमति के अनुसार, आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा पहचान किए गए स्‍थलों पर 1000 मेगावाट की सौर परियोजना(ओं) को चरणबद्ध रूप से विकसित किया जाएगा ।
5. सौर परियोजनाओं के लिए लागू शुल्‍क-दर का निर्धारण एनटीपीसी द्वारा प्रतिस्‍पर्धी बोली द्वारा निर्धारित परियोजना लागत पर आधारित लागत वृद्धि के आधार पर तथा लागू होने वाले उपयुक्‍त कमीशन विनियमों/मानकों पर आधारित अन्‍य मानदंडों के अनुसार किया जाएगा।
6. आंध्र प्रदेश सरकार तथा एनटीपीसी के प्रतिनिधियों को शामिल कर गठित एक संयुक्‍त कार्यदल द्वारा इस एमओयू के अंतर्गत विभिन्‍न कार्यकलापों के लिए समय सीमा निर्धारित की जाएगी और इसके कार्यान्‍वयन की निगरानी की जाएगी ।
7. इस सौर पार्क को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में स्‍थापित किए जाने का प्रस्‍ताव है ।
8. सौर विद्युत परियोजना के लिए अनुमानित निवेश 7000 करोड़ रू. का होगा। संपूर्ण निवेश एनटीपीसी द्वारा किया जाएगा। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा अवसंरचनात्‍मक सहायता उपलब्‍ध कराई जाएगी।

**.............**

**भारत सरकार**

**नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 76**

**सोमवार, दिनांक 24 नवम्‍बर, 2014 को उत्‍तर देने हेतु**

**पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत उत्‍पादन**

**76. श्रीमती शशिकला पुष्‍पा: क्‍या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

1. क्‍या यह सच है कि देश में विद्युत की मांग और आपूर्ति के बीच भारी अंतर है ;
2. यदि हां, तो गत दो वर्षों और इस वर्ष के दौरान इसका वर्ष-वार ब्‍यौरा क्‍या है और विभिन्‍न स्रोतों से उत्‍पादन का ब्‍यौरा क्‍या है ;
3. क्‍या यह सच है कि देश के पास अत्‍यधिक पवन ऊर्जा का उत्‍पादन करने की क्षमता है ; और सरकार द्वारा नवीकरणीय स्रोतों से और अधिक ऊर्जा का उत्‍पादन करने के लिए क्‍या कदम उठाए गए हैं ?

उत्‍तर

**विद्युत, कोयला तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)**

**(श्री पीयूष गोयल)**

1. तथा (ख) देश में विद्युत की मांग और आपूर्ति में अंतर है, जिसकी हर राज्‍य में भिन्‍न-भिन्‍न स्थिति है । देश में अप्रैल से अक्‍तूबर 2014 तक की अवधि में ऊर्जा और पीकिंग की कमी क्रमश: 4.1% और 4.7% थी। देश में विगत दो वर्षों 2012-13, 2013-14 तथा 2014-15 (अप्रैल से अक्‍तूबर तक) ऊर्जा और अधिकतम मांग के संदर्भ में विद्युत आपूर्ति की स्थिति संबंधी विवरण संलग्‍नक में दिया गया है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) देश में 80 मी. की ऊंचाई पर 1,02,788 मेगावाट की पवन विद्युत संभाव्‍यता है । अब तक 22,167 मेगावाट की पवन ऊर्जा परियोजनाएं संस्‍थापित की जा चुकी हैं । 12वीं योजना अवधि के लिए 15,000 मेगावाट का लक्ष्‍य रखा गया है ।

(ड़) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय अक्षय ऊर्जा के विभिन्‍न स्रोतों के संवर्धन और दोहन संबंधी कार्यक्रमों का कार्यान्‍वित कर रहा है इन कार्यक्रमों में विभिन्‍न राजकोषीय और वित्‍तीय प्रोत्‍साहन दिए जाते हैं, जैसे-पूंजीगत/ब्‍याज सब्‍सिडी प्रोत्‍साहन, उत्‍पादन आधारित प्रोत्‍साहन (जीबीआई), त्‍वरित मूल्‍यह्रास (एडी), रियायती सीमा शुल्‍क और उत्‍पाद शुल्‍क पर छूट। अक्षय ऊर्जा के संवर्धन के लिए अन्‍य उपायों में शामिल है; प्रदर्शन परियोजनाओं की स्‍थापना, अक्षय ऊर्जा स्रोतों से उत्‍पादित विद्युत की खरीद के लिए अधिमान्‍य सीमाशुल्‍क, संसाधन मूल्‍यांकन, विद्युत निष्‍क्रमण और परीक्षण सुविधाओं का विकास, अक्षय ऊर्जा प्रमाणपत्रों और अक्षयक्रय अनुबंध-पत्र का प्रवर्तन आदि। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी,जो इस मंत्रालय के अंतर्गत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है, यह भी अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के संवर्धन के लिए आसान शर्तों पर ऋण प्रदान करती है ।

**अनुलग्‍नक**

**दिनांक 24 नवम्‍बर, 2014 के राज्‍य सभा अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 76 के भाग (क तथा ख) के उत्‍तर में उल्‍लिखित अनुलग्‍नक**

ऊर्जा और अधिकतम मांग के संदर्भ में विद्युत आपूर्ति स्थिति संबंधी विवरण

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **वर्ष** | **चरम** | **ऊर्जा** |
| अधिकतम मांग | अधिकतम आपूर्ति | कमी | आवश्‍यकता | उपलब्‍धता | कमी |
| एम यू | % | एम यू | % |
| 2012-13  | 135453 | 123294 | 12159 | 9.0 | 995557 | 908652 | 86905 | 8.7 |
| 2013-14 | 135918 | 129815 | 6103 | 4.5 | 1002257 | 959829 | 42428 | 4.2 |
| 2014-15(अक्‍तूबर, 2014 तक)  | 148166 | 141160 | 7006 | 4.7 | 643914 | 617662 | 26252 | 4.1 |

**विभिन्‍न पारम्‍परिक स्रोतों से ऊर्जा उत्‍पादन का विवरण**

|  |  |
| --- | --- |
| स्रोत | समग्र ऊर्जा उत्‍पादन (एमयू) |
|  | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15(अक्‍तूबर, 2014 तक) |
| तापीय | 760675.8 | 792477.11 | 505670.10 |
| जलीय | 32866.11 | 34227.79 | 19627.85 |
| न्‍यूक्लियर  | 113720.29 | 134847.52 | 92141.44 |
| भूटान आयात | 4794.50 | 5597.90 | 4625ऋ;4 |
| **कुल** | **912056.70** | **967150.32** | **622064.43** |

दूरस्‍थ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम की स्‍थिति

(31.03.2014 की स्‍थिति के अनुसार)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्रम सं.**  | **राज्‍य** | **स्‍वीकृत किए गए कुल गांव** | **पूरे किए गए गांव** | **जिन गांवों में कार्य जारी है** | **स्‍वीकृत की गई कुल बस्‍तियां**  | **पूरी की गई बस्‍तियां**  |
| 1 | अरूणाचल प्रदेश  | 297 | 297 | 0 | 1 | 0 |
| 2. | आंध्र प्रदेश  | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 3. | असम | 2192 | 1952 | 66 | 0 | 0 |
| 4. | छत्‍तीसगढ़ | 682 | 568 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | गुजरात | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | हरियाणा  | 0 | 0 | 0 | 286 | 286 |
| 7. | हिमाचल प्रदेश  | 21 | 21 | 0 | 1 | 0 |
| 8. | जम्‍मू और कश्‍मीर  | 476 | 334 | 36 | 283 | 15 |
| 9. | झारखंड | 720 | 493 | 207 | 0 | 0 |
| 10. | कर्नाटक | 22 | 16 | 2 | 57 | 14 |
| 11. | केरल | 0 | 0 | 0 | 607 | 607 |
| 12. | मध्‍य प्रदेश  | 623 | 577 | 17 | 0 | 0 |
| 13. | महाराष्‍ट्र  | 353 | 340 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | मणिपुर | 237 | 237 | 0 | 3 | 3 |
| 15. | मेघालय | 163 | 149 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | मिजोरम | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | नागालैंड | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | ओड़ीसा | 1720 | 1495 | 142 | 23 | 14 |
| 19. | राजस्‍थान  | 340 | 292 | 24 | 90 | 90 |
| 20. | सिक्‍किम  | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 21. | तमिलनाडु | 0 | 0 | 0 | 184 | 131 |
| 22. | त्रिपुरा | 85 | 60 | 23 | 944 | 782 |
| 23. | उत्‍तराखंड  | 671 | 476 | 142 | 147 | 118 |
| 24. | उत्‍तर प्रदेश | 284 | 113 | 0 | 223 | 222 |
| 25. | पश्चिम बंगाल  | 1201 | 1177 | 24 | 9 | 2 |
| 26. | गोवा  |  |  |  | 19 | 19 |
| **कुल** | **10156** | **8666** | **683** | **2903** | **2329** |